

**छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 19 / 06 / 2017

क्रमांक एफ 10-4/2017/16 :— असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) योजना का प्रावधान :—

- (i) योजना का नाम “ई—ठेला सहायता योजना” होगा।
- योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत असंगठित कर्मकार को ई—ठेला हेतु स्वयं के द्वारा रु. 10,000/- प्रदाय किया जावेगा।
 - छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा रुपये 30,000/- अनुदान दिया जावेगा।
 - ई—ठेला हेतु बकाया शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से हाथ ठेला चालकों को बैंक से ऋण प्राप्त करना होगा।
 - बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेज एवं हितग्राही का अंशदान जमा करने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर हितग्राही के खाते में मंडल द्वारा मंडल का अंशदान हस्तांतरित किया जावेगा।
- (ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना की पात्रता :—

- (i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले।
- (ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष (हाथ ठेला चालक) आयु समूह की हो।
- (iii) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वारक्ष्यता प्रमाण—पत्र आवश्यक।
- (iv) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक।
- (v) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।
- (vi) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- (i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।
- (ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

....2....

- (iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा।
- (iv) योजना का आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अनुदान राशि रूपये 30,000/- हितग्राही को तभी प्राप्त होगा, जब हितग्राही द्वारा स्वयं का अंशदान एवं बकाया राशि के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध करायेगा।

(द) स्वीकृति का अधिकार :—

- (i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रमायुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति होगी।
- (ii) जिला स्तर समिति द्वारा स्वीकृति कर मंडल को अवगत कराने पर मंडल द्वारा अनुदान राशि प्रदाय की जावेगी।

(इ) विसंगति का निराकरण—

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

19/6/17
(याकूब खेस्स)

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 19/06/2017

पृष्ठांकन एफ 10-4/2017/16

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5. कलेक्टर जिला— (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
7. समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)
8. समस्त उप संचालक / प्रभारी उप संचालक, औ०स्वा० एवं सुरक्षा कार्यालय (छ0ग0)
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित कर लेख है कि कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

19/6/17
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग